

21/5/18

पत्रावली CPC की धारा 89 के तहत लोक अदालत बेंच को स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली दिनांक 21/5/18 के स्थान पर दिनांक 27-6-18 को सम्बन्धित अमान्य बेंच स्थान सावारा को अक्ष प्रस्तुत हो, तदनुसार सभी प्रकृतिगत मुक्ति हो।

महाशयक कलेक्टर (SDO) सावारा

27-6-18 (5-सि.सा.प.स. 1/35/37)

27-6-18 (5-सि.सा.प.स. 1/35/37)

27-6-18

पत्रावली द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय कार्य के तहत 2018 के कैम्प सावारा में प्रारंभ। वारिणी एवं शरिवादी के कैम्प में उपस्थित होकर राजीनामा देना का निवेदन किया कि हमारे बीच समझौता हो गया है। वारिणी का कोई वाद चलाना नहीं चाहती। इस बात के कारण कार्यवाही इसी तरह पर समाप्त की जाती है। पत्रावली के तहत शुभारंभ होकर दायित्व दफतर ले।

27-6-18 (5-सि.सा.प.स. 1/35/37)

(Signature)

शेरखान (वरिष्ठ) या अमान्य बेंच स्थान

महाशयक कलेक्टर (SDO) सावारा